



## मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेख कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

परिशिष्ट 'अ'

नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से रोकने शुद्धिकरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी :-

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से रोकने, शुद्धिकरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना संबंधी जानकारी
1	मंडला	नगर पालिका परिषद मण्डला द्वारा नर्मदा नदी में मिलने वाले 16 गंदे नालों के डायवर्सन हेतु प्रथम चरण में मुख्य 03 नालों को मिलाकर इन्टेकवेल के पास सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।
2	भेड़ाघाट, जबलपुर	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। जिसमें नाले के पानी का उपचार कर अन्यत्र उपयोग किया जावेगा।
3	जबलपुर	1. नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा 150 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एसटीपी ग्वारीघाट जबलपुर में स्थापित है एवं कार्यरत है। 2. नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा ग्वारीघाट जबलपुर में एक अन्य 400 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का एसटीपी स्थापित किया गया है। 3. नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा 50 एमएलडी क्षमता का एसटीपी ग्राम-कठौदा जबलपुर में स्थापित किया जा चुका है।
4	अमरकंटक	नगरीय क्षेत्र से उत्पन्न सीवेज के उपचार एवं सीवर लाईन के निर्माण हेतु 5 एम.एल.डी. क्षमता की योजना रु. 15.5 करोड़ की बनाई गई है।
5	डिण्डोरी	नगरीय क्षेत्र से उत्पन्न सीवेज के उपचार एवं सीवर लाईन के निर्माण हेतु 25 एम.एल.डी. क्षमता की योजना रु. 30.0 करोड़ प्रस्तावित है।
6	होशंगाबाद	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य शासन द्वारा केएफडब्ल्यू जर्मनी बैंक के माध्यम से रूपये 200 करोड़ की सीवेज परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
7	बुधनी	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुधनी नगर के वर्ल्ड बैंक पोषित में सम्मिलित किया है। संचालनालय स्तर पर योजना की कार्यवाही प्रस्तावित है।
8	शाहगंज	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। दूषित जल उपचार संयंत्र बनाये जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
9	ओंकारेश्वर	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।
10	मण्डलेश्वर	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।
11	महेश्वर	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।
12	धरमपुरी	नर्मदा नदी में मिल रहे घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एसटीपी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
13	नेमावर	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 853  
द्वारा मान. विधायक श्री अशोक रोहाणी

परिशिष्ट 'ब'

नगरीय निकायों एवं औद्योगिक इकाइयों को नर्मदा नदी में प्रदूषित पानी मिलने से रोकने हेतु बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों की जानकारी :-

क्र.	नगरीय निकाय/ उद्योग का नाम	दूषित जल उपचार व्यवस्था हेतु जारी किये गये निर्देश की तिथि	रिमार्क/कार्यवाही
1.	होशंगाबाद	03/07/2015, 09/10/2015, 20/11/2015	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन द्वारा के एफडब्ल्यू जर्मनी बैंक के माध्यम से रूपये 200 करोड़ की सीवेज परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।
	मेसर्स सिक्कुरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	-	उद्योग के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने के कारण दिनांक 30/01/2015 को मा.न्यायालय में प्रकरण दायर कराया गया है।
2.	शाहगंज	03/07/2015, 20/11/2015, 30/01/2016	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। दूषित जल उपचार संयंत्र बनाये जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
3.	बुधनी	03/07/2015, 20/11/2015, 30/01/2016, 21/10/2016, 06/12/2016, 10/01/2017	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुधनी नगर के वर्ल्ड बैंक पोषित में सम्मिलित किया है। संचालनालय स्तर पर योजना की कार्यवाही प्रस्तावित है।
4.	अमरकटक	04/09/2015, 30/09/2015, 23/11/2015, 27/04/2016, 05/12/2016	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है।
5.	डिण्डौरी	27/05/2015, 23/11/2015, 13/05/2016	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है।
6.	भेड़ाघाट	06/12/2016	नगरीय निकाय के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान अन्तर्गत दिनांक 27/02/2015 को न्यायालयीन वाद दायर किया गया है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

7.	जबलपुर	09/10/2015, 30/11/2015, 06/12/2016, 30/01/2017	नगर पालिक निगम जबलपुर के विरुद्ध जल अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दिनांक 20/07/2013 को दायर किया गया है।
8.	मण्डला	08/02/2016, 06/12/2016	नगरीय निकाय द्वारा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जिसका कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नगरीय निकाय के विरुद्ध जल अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दिनांक 12/01/2015 को दायर किया गया है।
9.	ओमकारेश्वर	07/08/2014, 22/10/2014	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान अन्तर्गत सीजेएम न्यायालय, खण्डवा में वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है।
10.	मण्डलेश्वर	08/08/2014, 22/10/2014	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान अन्तर्गत सीजेएम न्यायालय, खरगौन में वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है।
11.	महेश्वर	08/08/2014, 22/10/2014	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान अन्तर्गत सीजेएम न्यायालय, खरगौन में वाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है।
12.	धरमपुरी	20/07/2015, 07/09/2015	वर्तमान में दूषित जल उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है।
13.	नेमावर	निरंक	नेमावर में 04 नालों से घरेलू दूषित जल का निस्सारण होता है। नगर परिषद् द्वारा इन नालों पर नर्मदा नदी में मिलने से पूर्व सोकपिट बनाकर दूषित जल को नदी में मिलने से रोका गया है।

SI

SI

SI